एम. सी. मेहता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

10 मई, 2001

[बी. एन. किरपाल, दोराईवानी राजू और बृजेश कुमार, न्यायाधिपतिगण]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 : अदालत की अवमानना - दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की और मास्टर प्लान की पालना न करना - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके संचालन को रोकने और उन्हें एक समय सीमा के भीतर स्थानांतरित करने का निर्देश - अधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया गया - अवमानना कार्यवाही शुरू की गई - संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई अयोग्य माफी और मामले में उठाए गए कदमों का भी संकेत - अभिनिर्धारित, अधिकारियों ने स्थानांतरण के आदेशों का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया है - इस उम्मीद के साथ कि आदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा, अवमानना कार्यवाही बंद की गई।

भारत का संविधान, अनुच्छेद 129 - पर्यावरण कानून।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार

स्वप्रेरणा से अवमानना याचिका संख्या 300/ 2000

अंतर्गत

आई. ए. संख्या 22 और 1206

अंतर्गत रिट याचिका (सिविल) संख्या ४६७७ / 1985 में।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के. एन. रावल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, रंजीत कुमार (एसी), के. के. वेणुगोपाल, वी. ए. मोहता, शांति भूषण, डॉ. राजीव धवन, जे. डी. जैन, एम. सी. मेहता, के. सी. कौशिक, कृष्ण महाजन, एस. एन. तेरडोल, सृश्री अनिल कटियार, सी. वी. स्ब्बा राव, आर. एन. वर्मा, सी. राधाकृष्ण, अजय शर्मा, बी. वी. बलराम दास, डी. बी. जी. गोबर्धन, स्श्री पिंकी आनंद, स्श्री गीता लूथरा, स्श्री इंद्र साहनी, डी. के. सिंह, आर. सी. वर्मा, सुश्री शील सेठी, विजय पंजवानी, वी. बी. सहारिया, रामजी श्रीनिवासन, (स्श्री रूबी सिंह आह्जा);, मानिक करनजवाला के लिये, आर. एस. प्री, डी. एन. गोवर्धन, स्शील क्मार जैन, एम. ए. चिन्नास्वामी, एज. एज. लाहोटी, पवन के. शर्मा, हिमांश् शेखर, म्केश के. गिरी, बलबीर सिंह ग्प्ता, प्रदीप ग्प्ता, डी. बी. बोहरा, राजेश मित्रा, स्श्री कमलेश जैन, विजय क्मार, मोहम्मद आरिफ, राकेश के. शर्मा, एन. के. साहू, सुरेश त्रिपाठी, डी. एन. गोबर्धन, स्श्री प्रतिभा जैन, ए. पी. धमीजा और प्रदीप अग्रवाल; पक्षकारान की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अप्रैल, 1996 में पारित एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी गैर-अनुरूप उद्योग को 31 दिसंबर, 1996 के बाद अपनी गतिविधि जारी रखने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कम से कम वे उद्योग जो आवासीय क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जिनका संचालन मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, उन्हें 31 दिसंबर, 1996 तक अपना संचालन बंद करना पड़ा।

इसके बाद के आदेश गैर-अनुरूप उदयोग के स्थान के बारे में समय-समय पर पारित किए गए थे। अंततः 8 सितंबर, 1999 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्देश दिया गया कि 31/12/1999 तक रिहायशी इलाको में कार्यरत उद्योगो के स्थान के बारे में प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिये और यदि अावासीय क्षेत्र में उद्योग किसी भी कारण से स्थानांतरित या पुनः स्थापित नहीं किये जा सके, तो 31/12/1999 को उद्योग बंद हो जायेंगे।

इसके बाद भारत संघ, दिल्ली नगर निगम और एन. सी. टी., दिल्ली की ओर से विभिन्न शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जो बताते हैं कि इस न्यायालय आदेशों का लगातार उल्लंघन किया गया था। न ही औद्योगिक संपत्तियों को स्थापित किया गया है और न ही पुनर्वास के लिये भूखंड आवंटित किये गये और न ही आवासीय क्षेत्रों सहित गैर-अनुरूप क्षेत्रों में काम करने वाली इकाइयों को बंद किया गया। 14 नवंबर, 2000 को इस न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण मुख्य सचिव, एन. सी. टी., दिल्ली और आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को भी नोटिस यह कारण बताने के लिये जारी किए गए थे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की ओर से निरंतर निष्क्रियता के लिए और 1996 से शुरू होने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का, जिनमें आदेश दिनांक 8/9/1999, 30/8/2000 और 12/9/2000 सिम्मिलित है, आवासीय क्षेत्रों में स्थित प्रदूषणकारी इकाईयों को बंद करने के संबंध में अनुपालन न करने के लिये, क्यों न उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिये दंडित किया जाये।

दिल्ली सरकार, एनसीटी के मुख्य सचिव श्री पी. एस. भटनागर द्वारा दायर शपथपत्र में कहा गया है कि उसने 23 मार्च, 2000 को मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और इस न्यायालय के आदेशों का अनुपालना सुनिश्चित करने की दिशा में लगन से काम कर रहा है। उक्त आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए है, इसका संकेत देते हुये उसके द्वारा यह बताया गया है उसने न तो जानबूझकर और न ही आशयपूर्वक न्यायालय के किसी भी आदेश की अवज्ञा की है। उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक अयोग्य माफीनामा प्रस्तुत किया गया।

कुछ इसी तरह का शपथपत्र दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री एस. पी. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है। अयोग्य माफी मांगते हुये, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अदालत के आदेशों की अवज्ञा नहीं की और उक्त हलफनामे में उन कदमों का संकेत दिया है जो गैर-अनुरूप उद्योगों के स्थानातंतरण के लिये इस न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करने के प्रयास में उठाये गये थे।

हमने अवमाननाकर्ता के लिए विद्वान वकील को सुना और हमारी यह राय है कि एन. सी. टी., दिल्ली, दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों ने स्थानांतरण के आदेशों का पालन करने के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं किये है, और स्पष्ट रूप से गंभीर चूक उनकी तरह से हुई है। अधिकारियों की ओर से प्रयास और इच्छाशक्ति की कमी रही है, जिससे हमें यह आभास होता है कि स्वास्थ्य के बजाय धन या स्वास्थ्य की कीमत पर, उनके लिये एक बडी चिंता का विषय प्रतीत होता है।

इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए थे कि कार्यपालिका को एक समय के भीतर कानून को लागू करने की आवश्यकता थी। यह आवश्यक हो गया था क्योंकि भूमि के गैर-अनुरूप उपयोग में अवैधता को सहन करने से प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ गया था। यह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों का कर्तव्य था कि कार्यपालिका कार्य करे। भले ही पारित आदेशों के प्रति कोई जानबूझकर या इरादतन अवहेलना नहीं की गई हो, उनके प्रति स्पष्ट रूप से एक उदासीन रवैया और दृष्टिकोण रहा है। दिल्ली के मौन बहुमत नागरिकों के कल्याण को रोक दिया गया है।

हालांकि हम इस मामले में आगे कोई और कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, लेकिन इस तरह का सुस्त रवैया, अगर यह जारी रहता है, तो जल्द ही अपमानजनक हो सकता है। इस आशा के साथ कि आदेशो का ईमानदारी से अनुपालन किया जायेगा, हम इन अवमानना कार्यवाहियो को बंद करने और नोटिस को उन्मोचित करने का निर्देश देते है।

याचिका अभी भी लंबित है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।